(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

पीठासीन:— श्री जयसिंह मेघवाल आर.ए.एस।

राजस्व वाद स. 81/2015

अनवान:— कमला वगैरह बनाम स्टेट।

अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अभिभाषक वादी की ओर से:— श्री राजेन्द्र गहलोत एडवोकेट उपस्थित।
प्रतिवादी राज्य की ओर से:— नायब तहसीलदार कोलायत उपस्थित।

—:आदेश:—

दिनांक:—29.09.2016

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम कोलायत के पुस्तेनी निवासीगण है और उनके पूर्वजों की भूमि ग्राम शरह किसनायत में स्थित चली आ रही है।

वादीगण के पिता पेमाराम वल्द बक्शाराम जाति मेघवाल की भूमि हीन होने के कारण ग्राम शरह किसनायत तहसील कोलायत के गत खसरा नंबर 23/11 में 25 बीघा भूमि आंवटन की गई थी तब से वादीगण के पिता इस भूमि पर काबिज चले आ रहे ओर प्रतिवर्ष भूमि काश्त करते आ रहे हैं। तथा उनका स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण इस भूमि को काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी भूमि काश्त की हुई हैं जिसमें फसल, बाजरी, मौठ, तिल, गुंवार एवं प्राकृतिक फसल घास पाला आदि मौजूद है आदि आदि।

यह कि विवादित भूमि खसरा नंबर 218 आराजीराज राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हैं परन्तु वादीगण से आवंटन निरन्तर कब्जा काश्त उस पर चला आ रहें हैं इसलिए वादीगण अपने कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गैरखातेदारी कृषि भूमि गत खसरा नंबर 23/11 रकबा 25 बीघा जिसके वर्तमान नंबर 236 क्षैत्रफल 3.77 हैक्टेयर के बजाय पुराने कब्जे के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 218 में की भुमि अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिये घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड का दावा प्रस्तुत किया आदि आदि।

ग्राम शरह किसनायत स्थित खसरा नंबर 218 रकबा 3.77 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम बतौर खातेदार टिनेन्ट के रूप में अंकित किया जावे आदि आदि।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला—बीकानेर

Scanned by CamScanner

(8)

राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाये आदि आदि।

प्रतिवादी के खिलाफ चिर निषेद्याज्ञा प्रसारित कि जावे वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो आदि आदि।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तनकियात की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष इस वाद के माध्यम से प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादीगण का वाद आधारहीन व अधिकार विहीन होने से काबिले खारिज है।

परिणामस्वरूप वादगण ग्राम शरह किसनायत स्थित खसरा नंबर 218 रकबा 3.77 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाने व शरह किसनायत के खसरा वर्तमान 236 रकबा 236 रकबा 3.77 की बजाय वर्तमान खसरा नंब 218 में तादादी 3.77 हैक्टेयर वादीगण के नाम से दुरूस्ती की जाकर वादीगण के नाम से अंकित किये जाने एवं चिर निशेद्याज्ञा का खारिज किया जाता है।

वाद पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी

कोलायत जिला बीकानेर

Scanned by CamScanner